संख्या–2/2021/4/1/2002/का–2/19टी0सी0–II

प्रेषक,

संजय कुमार सिंह,
विशेष सचिव।
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग,
पिकप भवन, तृतीय तल, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ।

कार्मिक अनुभाग–2

लखनऊः दिनांकः 30 मार्च, 2021

विषयः– आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए अनुमन्य 10 प्रतिशत आरक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया अपने अर्द्धशासकीय पत्र संख्या–42/05/तीन (परि–01)/2020 दिनांकः 07.11.2020 को सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए अनुमन्य 10 प्रतिशत आरक्षण के सम्बन्ध में कार्मिक अनुभाग–2 के कार्यालय–ज्ञाप संख्या–1/2019/4/1/2002/का–2/19टी0सी0–II, दिनांकः 18.12.2019 के प्रस्तर–4(ख)(iv) एवं उ0प्र0 लोक सेवा (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 2020 जो दिनांकः 01.02.2019 से प्रवृत्त है, की धारा–13 में वर्णित परस्पर विरोधाभासी के दृष्टिगत उत्पन्न कठिनाईयों के निवारण हेतु प्रकरण का विधिक परीक्षण कराकर यथोचित मार्गदर्शन व अधिसूचित आदेश शीघ्र प्रदान किये जाने को अनुरोध किया गया है ताकि आयोग स्तर पर लम्बित अधियाचन/विज्ञप्तियों के सापेक्ष कार्यवाही की जा सके।

2– विधायी अनुभाग–1 की अधिसूचना दिनांकः 31.08.2020 द्वारा प्रख्यापित उ0प्र0 लोक सेवा (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 2020 की धारा–3(3) और धारा–13(1) में निम्न प्राविधान हैंः–

धारा–3(3)– ''कार्मिक अनुभाग–2 की संख्या–1/2019/4/1/2002/का–2/19टी0सी0–II, दिनांकः 18.02.2019 द्वारा जारी कार्यालय–ज्ञाप, इस धारा के अधीन जारी किया गया समझा जायेगा।'' उक्त कार्यालय–ज्ञाप के प्रस्तर–4(ख)(iv) में यह प्रावधान है कि "उत्तर प्रदेश सरकार की लोक सेवाओं पदों की सभी श्रेणियों में सीधी भर्ती के प्रकम पर आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए नियुक्तियों में आरक्षण की व्यवस्था दिनांकः 01.02.2019 या इसके उपरान्त अधिसूचित/विज्ञापित होने वाली रिक्तियों पर प्रभावी होगी।"

धारा–13(1)– "इस अधिनियम के उपबन्ध, ऐसे मामलों में लागू नही होंगे जिनमें चयन प्रकिया इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व आरम्भ हो चुकी हो और ऐसे मामले, विधि के उपबन्धों और शासनादेशों के अनुसार, जैसा कि वे ऐसे प्रारम्भ थे, व्यवहृत किये जायेंगे।"

स्पष्टीकरण– जहॉ सुसंगत सेवा नियमावली के अधीन की जाने वाली भर्ती का आधार–

(एक) केवल लिखित परीक्षा या साक्षात्कार हो, वहॉ यथास्थिति, लिखित परीक्षा या साक्षात्कार प्रारम्भ हो जाने पर, या

(दो) लिखित परीक्षा और साक्षात्कार दोनों हो, वहॉ लिखित परीक्षा प्रारम्भ हो जाने पर, इस धारा के प्रयोजनों के लिए, चयन प्रकिया आरम्भ हुई समझी जायेगी।

3— इस सम्बन्ध में प्राप्त विधिक परामर्श के अनुक्रम में यह निर्णय लिया गया है कि उ0प्र0 लोक सेवा (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 2020 की धारा–3(3) में उल्लिखित कार्यालय–ज्ञाप दिनांकः 18.02.2019 में किसी प्रतिकूल प्राविधान के होने की दशा में भी उक्त अधिनियम की धारा–13 के प्राविधान प्रभावी/लागू होंगे।

अतः मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया प्रश्नगत प्रकरण में उपर्युक्तानुसार उ0प्र0 लोक सेवा (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 2020 की धारा–13 के प्राविधानों के अन्तर्गत अग्रेतर कार्यवाही शीघ्र सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(संजय कुमार सिंह)
विशेष सचिव।